तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/6/24 (मोहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर) राज०)	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार कठूमर का जवाब पूर्व में प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। उभय पक्ष बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करवाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 19.6.24 उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:— 3 / 25 / 2023 दायर दिनांक:— 07 / 07 / 2023

जीसीएमएस नं0:—2023 / 316 निर्णय दिनांक:— 19 / 06 / 2024

बउनवान

1. विजेन्द्रसिंह पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी बायडा तहसील कठूमर जिला अलवर।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर ।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम धारा— 1956

उपस्थिति:—1.श्री बनयसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर अप्रार्थी

—:आदेश:—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आ0 ख0 न0 163 रकबा 0.10 हैक्ट0, 209 रकवा 0.05 हैक्ट0, 243 / 359 रकबा 0.53 हैक्ट0 वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम अर्जुन पुत्र हरबक्स जाति जाट निवासी बायडा दर्ज है जबकि प्रार्थी के दादा का सही नाम अर्जुन पुत्र भंवरसिंह जाति जाट निवासी बायडा है। प्रार्थी के दादा का नाम अर्जुन पुत्र हरबक्स राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज है। भंवरसिंह हरबक्स से पहले फौत हो गया था, हरबक्स भंवरसिंह का पिता था। हरबक्स प्रार्थी का पडदादा था। उक्त आराजी मे राजस्व रिकार्ड में अर्जुन पुत्र भंवरसिंह जाति जाट दर्ज होना चाहिए। लेकिन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम अर्जुन पुत्र हरबक्स के होने से प्रार्थी को काफी आर्थिक हानि व मानसिक क्षति हो रही है। हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के दादा का नाम गलत दर्ज रहने से प्रार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी बाबत अर्जुन पुत्र हरबक्स के स्थान पर अर्जुन पुत्र भंवरसिंह दर्ज करने व हाल राजस्व

A 19.6.24

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

रेकार्ड में प्रार्थी के पहचान के दस्तावेजों के अनुसार दुरूस्त कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में अर्जुन पुत्र हरबक्स के स्थान पर अर्जुन पुत्र भंवरसिंह दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिय नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जवाबप्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि हाल राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम अर्जुन पुत्र हरबक्स ना होकर अर्जुन पुत्र भंवरसिंह किये जानें पर कोई राजहित प्रभावित नही होता है एवं प्रार्थी के दादा का नाम दुरूस्त किये जाने एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की सहमति दी है। इस वजह से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी हाल, प्रार्थना पत्र तहसीलदार दिनांक 01.03.2023, मिलान क्षेत्रफल बायडा, जमाबन्दी सम्बत 2028, इतंकाल संख्या 296 वाके ग्राम बायडा, जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076, लैटर पैड ग्राम पंचायत तिगरिया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड पेश किये है जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम अर्जुन पुत्र भंवरसिंह होना अंकित किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के दादा का नाम अर्जुन पुत्र हरबक्स ना होकर अर्जुन पुत्र भंवरसिंह है। जिसकी ताईद पत्रावली पर उपलब्ध पहचान के समस्त दस्तावेजात से हाती है। अप्रार्थी ने प्रार्थी का नाम अर्जुन पुत्र भंवरसिंह न्यायालय की डिक्री से अंकित होना कथन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विद्वान पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी के दादा का नाम अर्जुन पुत्र हरबक्स ना होकर अर्जुन पुत्र भंवरसिंह है। राजस्व रेकार्ड में इस तरह की दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:आदेश:—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 163 रकबा 0.10 हैक्ट0, 209 रकवा 0.05 हैक्ट0, 243/359 रकबा 0.53 हैक्ट0 वाके ग्राम बायडा तहसील कठूमर में पर प्रार्थी के दादा का नाम अर्जुन पुत्र हरबक्स के स्थान पर अर्जुन पुत्र भंवरसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है कि वो उक्तानुसार हाल

19-6-24
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

जमाबन्दी में संशोधित इन्द्राज करे। आदेश की प्रति तहसीलदार कठूमर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

19.6.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)